

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर  
कैम्प कोर्ट- ग्राम पंचायत भूलेरी  
पीठासीन अधिकारी श्री सोहनराम चौधरी आर.ए.एस.

वाद संख्या 2/03/14

अनुवान- रामजीलाल बनाम हरबक्श वगैरा निवासी भूलेरी तहसील रैणी।

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट



03.05.2018:-आज यह पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रैणी पर मूल वाद के साथ पेश हुई। आज दिनांक 03.05.2018 को मूलवाद का निर्णय हो जाने से इस प्रार्थना पत्र में कार्यवाही शेष नहीं रह जाने के कारण कार्यवाही प्रकरण ड्रॉप की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति सलंग्न मूल वाद जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट भूलेरी तहसील रैणी पर सुनाया गया।

(सोहनराम चौधरी आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर  
कैम्प कोर्ट- ग्राम पंचायत भूलेरी